

## प्रेस नोट

थाना - सिम्भावली दिनांक 05.07.2025

थाना सिम्भावली पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दुकानकार से रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

## कार्यवाही:-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाने के मु0अ0सं0 216/25 धारा 308(2), 351(2), 351(3) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को हरोडा मोड के पास से गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गुड्डू उर्फ शहजाद पुत्र शाहिद निवासी सैफी कॉलोनी हरोडा मोड थाना सिम्भावली जनपद हाप्ड। गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1. मु0अ0सं0 186/19 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।
- 2. मु0अ0सं0 297/20 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
- 3. मु0अ0सं0 264/23 धारा 308, 323, 324, 325, 452, 504, 506 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
- 4. मु0अ0सं0 98/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सिम्भावली जनपद हापुड। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-
- 1. उ0नि0 श्री यतेन्द्र सिंह थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
- 2. का0 450 आकाश चौहान थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।